

बिहार सरकार
लघु जल संसाधन विभाग

प्र0-5/ल0ज0सं0/स्था0 मु0-44/2018

पटना, दिनांक

प्रेषक,

दिलीप कुमार चौधरी,
सरकार के अवर सचिव,

सेवा में,

Speed Post/
Email

अधीक्षण अभियंता,
लघु सिंचाई अंचल, सहरसा ।
कार्यपालक अभियंता,
लघु सिंचाई प्रमण्डल, खगड़िया ।

विषय:- लघु जल संसाधन विभाग अंतर्गत अधीनस्थ कार्यालयों में मासिक भाड़े का वाहन रखने की स्वीकृति के संबंध में ।

प्रसंग:- मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, भागलपुर का पत्रांक-1697 दिनांक-06.08.2026 एवं पत्रांक-1719 दिनांक-11.08.2026

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के अधीनस्थ कार्यालयों को विभागीय कार्यालय आदेश सं0-281-सह-पटित ज्ञापांक-5158 दिनांक-20.11.18, शुद्धि पत्र संख्या-5764 दिनांक-07.12.18 एवं कार्यालय आदेश सं0-22 सह-पटित ज्ञापांक-475 दिनांक-16.01.19 द्वारा स्वीकृत 50 वाहनों के अतिरिक्त वित्तीय वर्ष-2026-27 हेतु विभागीय पत्रांक-4153 दिनांक-24.06.26 के द्वारा 45, पत्रांक-4620 दिनांक-15.07.26 के द्वारा 03 एवं पत्रांक-4619 दिनांक-15.07.26 के द्वारा 01 मासिक भाड़े का वाहन रखने की अनुमति दी गई है ।

उक्त के अतिरिक्त वित्तीय वर्ष-2026-27 के लिए रतम्भ-2 में अंकित कार्यालयों को स्तम्भ-3 में अंकित संख्या में कार्यालय उपयोग हेतु मासिक भाड़े पर वाहन रखने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

क्र0सं 0	कार्यालय का नाम	वित्तीय वर्ष-2026-27 में विभाग द्वारा अतिरिक्त मासिक भाड़े के स्वीकृत वाहनों की सं0
1	2	3
1	अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल, सहरसा ।	1
2	कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, खगड़िया ।	1
	कुल	02

2. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह0/-

(दिलीप कुमार चौधरी)

सरकार के अवर सचिव

/पटना, दिनांक-

ज्ञापांक-

5427

प्रतिलिपि:-सचिव के प्रधान आप्त सचिव/मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, भागलपुर/ उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/अवर सचिव, प्रशाखा-02/आई0टी0 प्रबंधक (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु), लघु जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के अवर सचिव